



AVVNL-Rule -594
AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

HATHI BHATA, CITY POWER HOUSE, AJMER-305001

No. AVVNL/CAO(R&C)/AAO (Rule)/ F. 25/00


/D. 3257 Dated 29.11.2012

ORDER

Sub:-Adoption of GoR's Circular No.F.7(1)Karmik/Ka-II/99 dated 12.09.2012, regarding the treatment to be given to the candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled tribes/Other Backward Classes/Special Backward Classes who are selected against unreserved category vacancies on the basis of their merit.

Pursuant to the Co-ordination Committee decision taken in its 159th meeting held on 14.09.2012, it is hereby ordered to adopt the Department of Personnel (Ka-II), Govt. of Rajasthan's circular No. F.7(1) Karmik/Ka-II/99 dated 12.09.2012 (copy enclosed), in the Nigam to maintain uniformity in such matters at par with the State Government.


By Order,


(M. K. Jain)

**Chief Accounts Officer (R&C)
AVVNL, Ajmer**

Copy submitted/forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Chief Engineer/Zonal Chief Engineer (), AVVNL, _____.
2. The Chief Accounts Officer (ATB/ IA - W&M), AVVNL, Ajmer.
3. The Chief Accounts Officer (ATR), JVVNL, Jaipur.
4. The Secretary (Admn.), AVVNL, Ajmer.
5. The Zonal Sr. Accounts Officer (AZ / UZ / JJZ), AVVNL, Ajmer/Udaipur/JJN.
6. The Sr. Accounts Officer (CPC/MM/EA/Commf.), AVVNL, Ajmer.
7. The Superintending Engineer (Civil/Plan/MM/O&M/M&P/TW/ADC/ACC), AVVNL, Ajmer/ Bhilwara/ Nagaur/Udaipur/ Chittorgarh/ Banswara/Rajsamand/ Jhunjhunu/ Sikar/ Dungarpur/ Pratapgarh with the request to circulate this order among division/Sub-division under his control.
8. The Superintending Engineer (IT) AVVNL Ajmer, with the request to upload it at Nigam's website.
9. The Company Secretary, AVVNL/RRVPNL, Ajmer/ Jaipur.
10. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), AVVNL, Ajmer.
11. The TA to Managing Director, AVVNL, Ajmer/ Jaipur.
12. Dy. Director of Personnel (AZ / UZ / JJZ), AVVNL, Ajmer/Udaipur/ Jhunjhunu.
13. The Accounts Officer/ (O&M/IA/ADC/ACC), AVVNL, Ajmer/ Bhilwara/ Nagaur/ Udaipur/ Chittorgarh/ Banswara/Rajsamand/Sikar/JJN/ Pratapgarh/Dungarpur.
14. The Assistant Accounts Officer (Estt./ A/cs/W&M/Rev.), AVVNL, Ajmer.
15. The Personnel Officer (Corporate Off./O&M), AVVNL, _____.
16. The Public Relation Officer, AVVNL, Ajmer.
17. The P.A. To Managing Director, AVVNL, Ajmer/Jaipur.
18. The P.A. To Director (Technical), AVVNL, Ajmer

R.R No. 1134 Dt. 11/11/12

S.E (IT) A.V.V.N.L., Ajmer

Asstt. Accounts Officer (Rule)

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक: प. 7(1)कार्मिक/क-2/99

जयपुर, दिनांक- 14.9.2012

- 1- समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
विशिष्ट शाराभ सचिव
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित)।

परिपत्र

विषय:- अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./वि.पि.व. के ऐसे अभ्यर्थियों के साथ जिन्हें उनकी योग्यता के आधार पर सामान्य प्रवर्ग की रिक्तियों के प्रति घयनित किया गया है, व्यवहार के बारे में।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 11.05.11 के क्रम में मा० राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एकल पीठ रिट याचिका संख्या 15152/2011 मदन लाल बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.4.12 में विधि विभाग से प्राप्त पत्राचार उपरान्त निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है-

यदि किसी अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी ने उन प्रवर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को उपलब्ध आयु या फीस संबंधी रियायतों में से किसी का भी लाभ उठाया है और वह सामान्य वर्ग के ऐसे अन्तिम अभ्यर्थी से, जो घयनित हुआ है, से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो भी अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./वि.पि.व. के ऐसे अभ्यर्थी का घयन यथास्थिति अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./वि.पि.व. के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति नहीं किया जाकर सामान्य प्रवर्ग की रिक्तियों के प्रति किया जावेगा तथापि यदि अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./वि.पि.व. के अभ्यर्थियों ने संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु घयन प्रक्रिया के दौरान आयु एवं फीस की रियायतों के अतिरिक्त किसी अन्य रियायत का लाभ उठाया है, तो ऐसे अभ्यर्थियों का घयन सामान्य वर्ग की रिक्तियों के प्रति नहीं किया जाकर अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./वि.पि.व. के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति किया जायेगा। उक्त निर्देश मा० राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एकल पीठ रिट याचिका संख्या 15152/2011 मदन लाल बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.4.12 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दायर अपील में होने वाले अन्तिम निर्णय अथवा उक्त अपील में स्थगन आदेश प्राप्त होने तक, के अध्याधीन रहेंगे।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी करते समय उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित कशवें।

(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव

12.9.2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति० मुख्य सचिव
3. सचिव, राज० लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राज० सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर
5. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

47/2012